न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002092010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-476 / 10</u> संस्थापित दिनांक-12.11.2010

| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा : | _ | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|-------|--------|----------|--------|
| आरक्षी केन्द्र चन्देरी जि | नला ३ | गशोकन | नगर। | | | |
| | | | | | आ | भेयोजन |
| विरुद्ध | | | | | | |
| 01—रमेश पुत्र मोहन | सिंह | पाल | उम्र | 26 | साल | निवासी |
| मातामढ़ मोहल्ला चंदेरी | Ì | | | | | |
| | | | | | | आरोपी |
| राज्य द्वारा | :- | श्री सुव | रीप श | ार्मा, | ए.डी.र्प | ो.ओ. । |
| आरोपी द्वारा | :- 8 | श्री अश | गोक इ | शर्मा | अधिव | क्ता |

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 24.08.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 25/27 आर्म्स एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी जंगबहादुर सिंह ने दिनांक 15.09.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि उसे मुखविर ने सूचना दी कि रमेश गडरिया मातामढ मोहल्ला चंदेरी में एक कटटा (तमंचा) लिए किसी वारदात के चक्कर में घूम रहा है। तस्दीक हेतु वह मय

एस आई आर्य, एच सी नरेंद्र सिंह व वनवारीलाल व विनोद के रवाना होकर मातामढ मोहल्ला चंदेरी में पहुंचा जहां पर खिन्नी पेड व हैंडपंप के बीच रोड के पास रमेश गडिरया मिला, जिसकी तलाशी ली तो कमर में दांहिनी तरफ पैंट के नीचे एक 315 बोर का कटटा (तमंचा) तथा पेंट की दांहिनी जेब से एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। मौजूदा राहगीर नरेंद्र कुमार जैन एवं बाबूलाल पाल निवासी चंदेरी के रमेश से कटटा का लायसेंस पूछा तो न होना बताया। उक्त कृत्य 25/27 आर्म्स एक्ट का होने से उक्त साक्षियों के समक्ष विधिवत् आरोपी रमेश से 315 बोर का उक्त कटटा व एक राउंड 315 बोर का जिंदा जप्त कर गिरफतार किया गया। फिरयादी ने आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 344/10 के अंतर्गत 25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध 25(1—ख) क आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.09.10 को समय करीब 09.30 बजे मातामढ़ मोहल्ला चंदेरी में एक 315 बोर का कटटा, जिंदा कारतूस बगैर किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 बाबूलाल, अ.सा. 02 बनवारी लाल, अ.सा. 03 नरेंद्र सिंह रघुवंशी, अ.सा. 04 नरेंद्र कुमार, अ.सा. 05 जंग बहादुर सिंह, अ.सा. 06 अमरलाल, अ.सा. 07 प्रेमसिंह यादव की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 बनवारी लाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति अवैध कटटा लेकर वारदात के लिए घूम रहा है और वे लोग मातामढ मोहल्ला पहुंचे थे। अ.सा. 02 के अनुसार जंग बहादुर दीवानजी ने आरोपी को पकडकर उसकी तलाशी ली थी तथा आरोपी कमर में पेंट के नीचे 315 बोर का कटटा एवं कारतूस रखे हुए मिला था। उक्त साक्षी के अनुसार पूछने पर आरोपी ने अपना नाम रमेश बताया था तथा उसके पास कटटा रखने का कोई वैध लायसेंस नहीं था। अ.सा. 05 जंगबहादुर ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी कटटा लिए वारदात की नीयत से घूम रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार वे लोग जब मौके पर पहुंचे तब आरोपी के पास से एक देशी कटटा एवं 315 बोर का राउंड मिला था। अ.सा. 05 के अनुसार आरोपी से प्रपी 01 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी एवं वापसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 05 लेखबद्ध की गई थी। उक्त साक्षी ने रवानगी सान्हा प्रपी 06 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

08— अ.सा. 01 बाबूलाल ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार वह थाने गया था जहां आरोपी बैठा था और थाने पर दीवानजी ने उससे कहा था कि हस्ताक्षर कर दो तो उसने प्रपी 01 जप्ती पंचनामा एवं गिरफतारी पंचनामा प्रपी 02 पर हस्ताक्षर किए थे। अ.सा. 04 नरेंद्र कुमार ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा उसके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही नहीं हुई। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस वालों ने उससे थाने पर हस्ताक्षर करा लिए थे। अ.सा. 06 अमरलाल ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में प्रपी 07 की अभियोजन स्वीकृति तैयार की गई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

09— अ.सा. 07 प्रेमसिंह यादव द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि उसके द्व ारा प्रकरण में जप्तशुदा कटटा आर्टिकल ए—01 की जांच की गई थी और साथ ही राउंड आर्टिकल ए—02 की जांच की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार कटटा चालू हालत में था तथा जिसकी रिपोर्ट प्रपी 08 है। अ.सा. 03 नरेंद्र सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा अभियोजन स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त की थी और साथ ही कटटे की जांच हेतु डीआरपी लाइन अशोकनगर भेजा था।

अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके 10-अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अ.सा. 01 एवं अ.सा. 04 जो कि जप्ती पत्रक एवं गिरफतारी के साक्षी हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उनके समक्ष कटटे की जप्ती की कार्यवाही हुई थी। प्रकरण में अभियोजन द्वारा सान्हा प्रपी 06 अभिलेख पर प्रस्तृत किया गया है। उक्त सान्हा प्रपी 06 से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी तथा अ.सा. 02 एवं अ.सा. 05 द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई थी। अ.सा. 07 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि प्रकरण में जप्तशुदा कटटा चालू हालत में था तथा प्रकरण में जप्तशुदा कटटा आर्टिकल ए-01 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया है। यद्यपि प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हो रही तथा जप्ती की कार्यवाही के साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं, किंतु मात्र उक्त आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित नहीं होता, समीचीन प्रतीत नहीं होता। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत 2006 किमिनल लॉ जनरल एनओसी 490, पटना अनुकरणीय है।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि

अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को 25(1—ख) क आयुध अधिनियम के अपराध में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

> (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

पुनश्च:-

- 13. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है तथा आरोपी के पास से घातक आयुध जप्त हुआ है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।
- 14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि

उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बिल्क उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा घातक आयुध बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को 25(1—ख) क आयुध अधिनियम के अपराध में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। उक्त दंडादेश आरोपी द्वारा पूर्व में भुगताये गए कारावास से समायोजित किया जावे।

- 15. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 16. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कटटा एवं एक जिंदा राउंड मूल्यहीन होने से जिला कलेक्टर अशोकनगर को नष्ट किए जाने बाबत भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।
- 17. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 18. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)